संख्या–3ए–2–वे०पु०–06 / 2023-.. / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–..................

विषयः– **सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए संगत वेतनसंरचना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या–2125, दिनांक–26.05.2009 द्वारा **सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग नियमावली, 2009** अधिसूचित है, जिसमें चार–स्तरीय पदसोपान विहित है। सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग के विहित पदसोपान एवं उसके लिए स्वीकृत वेतनसंरचना की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	पदनाम	पदसोपान (कोटि)	दि०–01.01.96 से स्वीकृत वेतनमान	दि०–01.01.06 से स्वीकृत वेतनमान	दि०–01.01.16 से स्वीकृत वेतनसंरचना
1	कनीय सांख्यिकी सहायक	मूलकोटि	4000-6000	PB-1+2400	Level-4
2	वरीय सांख्यिकी सहायक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	5000-8000	PB-2+4200	Level-7
3	सांख्यिकी पदाधिकारी	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	5500-9000	PB-2+4200	Level-6
4	उपनिदेशक (सांख्यिकी)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	8000-13500	PB-2+5400	निर्धारित नहीं है

2. उक्त संवर्ग के प्रथम प्रोन्नति स्तर पद **वरीय सांख्यिकी सहायक** एवं द्वितीय प्रोन्नति स्तर पद **सांख्यिकी पदाधिकारी** के लिए दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से एक ही वेतनमान PB-2+4200 स्वीकृत है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से प्रथम प्रोन्नति स्तर पद **वरीय सांख्यिकी सहायक** के लिए उत्क्रमित वेतनस्तर–7 स्वीकृत है, जबकि उससे उच्चतर प्रोन्नति के पद **सांख्यिकी पदाधिकारी** के लिए निम्न वेतनस्तर–6 स्वीकृत है, जो एक विसंगति है। इसके निवारण हेतु सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए अनुवर्त्ती पदसोपान से उच्चतर वेतनस्तर–8 अनुमान्य होना चाहिए। तृतीय प्रोन्नति सोपान **उपनिदेशक (सांख्यिकी)** के लिए दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से वेतनसंरचना स्वीकृत नहीं

रहने की स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8145, दिनांक–13.10.2017 की कंडिका–4(ii) के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनस्तर–9 अनुमान्य होना चाहिए।

3. **सम्यक् विचारोपरान्त** सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए निम्नवत् वेतनसंरचना की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र.सं.	पदनाम	पदसोपान (कोटि)	पुनरीक्षित वेतनसंरचना
1	सांख्यिकी पदाधिकारी	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	Level-8
2	उपनिदेशक (सांख्यिकी)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	Level-9

4. उक्त वेतनसंरचना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०–06/2023 –__________/**वि०** पटना, दिनांकः–__________

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०–06/2023 –__________/**वि०** पटना, दिनांकः–__________

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—3ए—2—वे०पु०—06 / 2023 —__________ **/वि०** पटना, दिनांकः—__________

प्रतिलिपिः—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये।

ह0 / —

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—3ए—2—वे०पु०—06 / 2023 —2895 **/वि०** पटना, दिनांकः—15-03-2024

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग / सिस्टम एनालिस्ट (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

15/3/2024